

06.09.2022:— पत्रावली पेशी मे आई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

★
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

